## प्ररूप 21ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

## टोंक (96) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री सचिन पायलट (नाम) B-5 एम. एल. ए. क्वार्टर, एम आई रोड़ के पास, जालुपुरा तह. व जि. जयपुर (राज.) (पता) [जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए]

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए

स्थान : टोंक

तारीख: 11.12.2018

रेटर्निंग ऑफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 96—टोंक

विधान सभा क्षेत्र टोंक (०६)

## **FORM 21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 96-Tonk Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sh. SACHIN PILOT (Name) B-5, M.L.A. QUARTER, MIROAD KE PAAS, JALUPURA TEH. & DIST. JAIPUR (RAJ.) (Address) [sponsored by Indian National Congress (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Tonk

Date: 11-12-2018

(C.L.Sharma)

Returning Officer
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)

AC 96-Tonk रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र टोंक (96)